न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 1496/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 सदीक पुत्र ओसमान जाति मुसलमान निवासी लाखेटाली, मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।		1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर 2 अब्दुला पुत्र ओसमान 3 बसन्त खां 4 सुभान खां 5 शेर खां पिसरान हासम खां 6 खाना पत्नी हासम खां जाति मुसलमान निवासी लाखेटाली, मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री हुकमसिंह चौधरी वकील प्रार्थी।
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाडमेर अप्रार्थी संख्या 01।

आदेश

दिनांक 16.03.2018

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 से 06 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा लाखेटाली में खेत खसरा संख्या 164 रकबा 40.01 बीघा तथा खसरा संख्या 195 रकबा 94.08 बीघा आये हुए है। उक्त भूमि का विभाजन राजस्व अभियान के दौरान वर्ष 1910 में हो गया था। खसरा संख्या 195 रकबा 94.08 बीघा संयुक्त खातेदारी में विभाजन के अनुसार रखा गया था। प्रार्थी ने यह भी अंकित किया है कि ग्राम लाखेटाली का खसरा संख्या 195 रकबा 94.08 बीघा का कभी भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के मध्य सहमति के आधार पर विभाजन नही करवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा बिना सहमति उक्त खसरे में विभाजन अंकित कर राजस्व रेकर्ड में एवं लठ्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित कर दी। वादग्रस्त खसरा 195 में से 22.07 बीघा भूमि जालीपा लिग्नाईट परियोजना हेतु अवाप्त की गई, जिसके आधार पर उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 353/195 व 351/195 कुल रकबा 22.07 बीघा जालीपा लिग्नाईट परियोजना के नाम रेकर्ड में दर्ज की गई। इसी खसरा की शेष भूमि 22.13 बीघा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 के नाम नया खसरा नम्बर 237/195 अंकित की गई तथा खसरा संख्या 238/195 रकबा 49.08 बीघा अप्रार्थी संख्या 03 से 06 के नाम खातेदारी में अंकित की गई। उक्त तरमीम मौके के अनुसार नही करने पर प्रार्थी की रहवासी ढाणी संलग्न नक्शा में बरंग लाल से दर्शाई भूमि अप्रार्थीगण संख्या 03 से 06 के खातेदारी खसरा नम्बर 237/195 में आ गई है, जिसके कारण प्रार्थी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने अपनी रहवासी ढाणी का मौका निरीक्षण कर मौके के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाडमेर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वे इस प्रकरण में प्रफोर्मा पक्षकार है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 की आपसी सहमति के आधार पर किया जाना प्रकट होता है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 का कोई

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हित निहित नही है। माननीय न्यायालय प्रकरण का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने में स्वतंत्र है। अप्रार्थी संख्या 02 ने प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों को सही होने स्वीकार करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण में तथ्यात्मक एंव मौका प्रतिवेदन तहसीलदार बाडमेर से तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर ने अपने मौका प्रतिवेदन दिनांक 27.02.2018 को प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी की रहवासी ढाणी खसरा नम्बर 238/195 रकबा 49.08 बीघा में स्थित है, जो अप्रार्थी संख्या 03 से 06 की खातेदारी में अंकित है। गैर मुमकीन ढाणी का रकबा 0.10 बीघा बनता है। उक्त रकबे के बदले में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 237/195 रकबा 22.13 बीघा भूमि में से मौका नक्शा में दर्शाये अनुसार देने को सहमत है।

प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया एवं तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त मौका प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर के मौका प्रतिवेदन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पुष्टी होती है। अतः तहसीलदार बाडमेर के मौका प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित तरमीम नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 238/195 में बनी प्रार्थी की गै.मु. ढाणी रकबा 0.10 बीघा जो सलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शाई गई है, को प्रार्थी की खातेदारी भूमि में तथा खसरा नम्बर 237/195 में से 0.10 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाए अनुसार अप्रार्थी संख्या 03 से 06 की खातेदारी भूमि में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख व लठ्ठा ट्रेस में तरमीम दुरूस्त करें। प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16.03.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner